सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामदेव गोयल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 88/14 **निर्णय दिनांक : 09.01.2018**

1. कायम खॉ पुत्र बडणा खॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मेलू खॉ पुत्र अमरखॉ जाति मुसलमान निवासी राणीसर तहसील पूगल जिला बीकानेर

2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल
दिनांक 13–7–2012 एवं पालना आदेश दिनांक 09–08–2012

उपस्थितः

1. श्री बहादुरराम सुथाऱ, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 13–07–2012 व पालना आदेश दिनांक 09–08–2012 जिसके द्वारा

अपीलांट की टीसी आवंटन की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को भूमिहीन आवंटन के तहत ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 48 में चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 तादादी 25 बीघा भूमि का टी.सी. आवंटन तहसीलदार उपनिवेशन छत्तरगढ़ नं. 2 खाजुवाला द्वारा दिनांक 09—06—1983 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् से ही अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट के उक्त आवंटन का कई वर्षो तक नियमन भी किया जाता रहा है। तत्पश्चात् अपीलांट से अदालत मातहत द्वारा वर्ष 1988 में उक्त आवंटित भूमि का स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र मांगे जाने पर अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया व उक्त भूमि के स्थाई आवंटन की पत्रावली सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ में विचाराधीन थी व आज भी अपीलांट को स्थाई आवंटन का प्रकरण आज दिनांक तक लम्बित है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि ग्राम राणीसर हाल चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/04 की 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि को उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा दिनांक 09—08—2012 को मिडियम पेच में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई है शेष भूमि नहर नर्सरी में दर्ज हो चुकी है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को वर्ष 1983 से टीसी आवंटित थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त आराजी जैर के स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियमपेच के तहत किया गया है। उक्त आवंटन आवंटन नियमों के विपरीत होने से आराजी जैर के

आवंटन में प्रथम वरियता अपीलांट की होने के कारण आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—07—2012 व पालना आदेश दिनांक 09—08—2012 निरस्त किया जाकर अपीलांट को आवंटित ग्राम राणीसर के पुराना खसरा नम्बर 48 हाल चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/04 की 25 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन अपीलांट के नाम से कर आवंटन आदेश जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश प्रदान करें। मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे। अपने कथन के समर्थन में 2016 आर.आर.टी. पेज 340 व 559 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के मिडियम पेच आवंटन के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 22—05—2012 को प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया गया। उक्त रिपोर्ट व नजरी नक्शें में वादगत् भूमि चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 के बाबत् समीपस्थ काश्तकारों की वरियता बनाई गई। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट मेलू खॉ पुत्र उमर खॉ, ख्यालीराम पुत्र मोतीराम, नरेन्द्रसिंह, हरप्रीत सिंह पुत्र कालासिंह आदि की वरियता निर्धारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मेलू खॉ पुत्र उमर खॉ की प्रथम वरियता निर्धारित की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता रेस्पोडेन्ट की ही बनती है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि उसी के धारण की भूमि के मुरब्बे की भूमि है। इस भूमि हेतु अन्य कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है। अतः राजस्थान उपनिवेशन(इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी

भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटन के लिए निर्विवाद रूप से उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट को किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि जमा करवाई जा चकी है व राजस्व रिकार्ड में भी रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट को वर्ष 1983 में वादगत् भूमि का टीसी आवंटन किया गया था। उक्त टीसी आवंटन का कालान्तर में नवीनीकरण नहीं किया गया है। टीसी आवंटन किसी भी काश्तकार को आरजी तौर पर किया जाता है। जिस पर उसके कोई हक व हकूक पैदा नहीं होते है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। जब वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट टीसी आवंटन के आधार पर वादगत् भूमि पर कोई अधिकार हासिल नहीं करता है। टीसी से पुख्ता आवंटन का एकमात्र आधार वादगत् भूमि पर पजेशन होता है। चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट द्वारा अपने कब्जे काश्त बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रतीत हो कि वह वादगत् भूमि पर आज भी काबिज है। जबकि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् से ही निरन्तर काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे। मियांद के संबंध में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है तथा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कन्डोन करने के लिए कोई संतोषप्रद कारण अंकित नही किये गये है। इसलिए अपील मियांद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—07—2012 व पालना आदेश दिनांक 09—08—2012 के विरुद्व अपीलांट ने अपील दिनांक 20—03—14 को पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट् ने काउण्टर

शपथ पत्र पेश नही किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियादं धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को वर्ष 1983 में वादगत् भूमि का भूमिहीन के तौर पर ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 48 में चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन तहसील उपनिवेशन छत्तरगढ़ नं. 2 खाजुवाला द्वारा किया गया था।

(3) तत्पश्चात् वादगत् भूमि चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 का मिडियम पेच के तहत आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 2012 में किया गया है। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मिडियम पेच के तहत किया गया है। आवंटन से पूर्व टवारी द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया गया। उक्त रिपोर्ट व नजरी नक्शें में वादगत् भूमि चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 के बाबत् समीपस्थ काश्तकारों की वरियता बनाई गई। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट मेलू खॉ पुत्र उमर खॉ, ख्यालीराम पुत्र मोतीराम, नरेन्द्रसिंह, हरप्रीत सिंह पुत्र कालासिंह आदि की वरियता निर्धारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मेलू खॉ पुत्र उमर खॉ की प्रथम वरियता निर्धारित की गई। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता रेस्पोडेन्ट की ही बनती है।

(4) अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को इस आधार पर किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि उसी के धारण की भूमि के मुरब्बे की भूमि है। इस भूमि हेतु अन्य कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है। अतः राजस्थान उपनिवेशन(इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14(1) के तहत आवंटन के लिए निर्विवाद रूप से उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट को किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् तमाम राशि जमा करवाई जा चकी है।

(5) जहॉ तक वादगत् भूमि पर अपीलांट के टीसी आवंटन का प्रश्न है। यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट को वर्ष 1983 के वादगत् भूमि का टीसी आवंटन किया गया था। लेकिन उक्त टीसी आवंटन का कालान्तर में नवीनीकरण नहीं किया गया है व अपीलांट को टीसी आवंटन आरजी तौर पर किया गया था। अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वह वादगत् भूमि पर आज दिनांक को काबिज काश्त है। जबकि टीसी से पुख्ता आवंटन में आवंटी का वादगत् भूमि पर काबिज होना अपरिहार्य है। जब अपीलांट वादगत् भूमि पर काबिज काश्त ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल मात्र वर्ष 1983 के टीसी आवंटन के आधार पर अपीलांट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हकूक पैदा नहीं होते है।

(6) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को मिडियम पेच के तहत चक 7 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/4 की 11 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त चक की शेष भूमि नहर नर्सरी में दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में शेष नहर में अवाप्त होने के कारण उक्त भूमि भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत माताहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि का किया गया आवंटन विधि सम्मत आवंटन है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–07–2012 व पालना आदेश दिनांक 09–08–2012 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर